राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांकः एफ 3 (20) वन / 2013 जयपुर दिनांक– 26.04.2023

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा बारां जिले की अन्ता तहसील की 75.63 हैक्टेयर भूमि जिसका विवरण अनुसूची–1 में है तथा जिसका सीमा विवरण अनुसूची–2 के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति, भू–संरचना संबंधित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए **सोरसन संरक्षण आरक्षिति तृतीय (conservation reserve)** घोषित करती है, जिसे भविष्य में **सोरसन संरक्षण आरक्षिति तृतीय** के नाम से जाना जावेगा

अनुसूची I

क्र.स.	नाम कन्जर्वेशन रिजर्व	सम्मिलित वनखण्डो के नाम	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	**सोरसन संरक्षण आरक्षिति तृतीय**	सोरसन "डी" भाग 1 व 2	सम्पूर्ण वनखण्ड	75.63

खसरा वार भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल हेक्टर में		विशेष विवरण
				खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
बारां	अन्ता	सोरसन "डी" भाग 1 (प्रस्तावित)	सोरसन	1173	19.15	
			योग	1	19.15	
		भाग 2	सोरसन	1176	2.00	
				2198/1176	16.06	
				1177	18.66	
				1175	19.76	
			योग	4	**56.48**	
			कुलयोग	5	**75.63**	

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.04.26 16:40:40 IST
Reason: Approved

अनुसूची–2

सोरसन संरक्षण आरक्षिति तृतीय की सीमाऐं

उत्तरी सीमाः– वनखण्ड सोरसन "डी" भाग 1 व 2 के उत्तर पश्चिमी कोने से पूर्व दिशा में उत्तरी पूर्वी कोने तक।

पूर्वी सीमाः– वनखण्ड सोरसन "डी" भाग 1 व 2 के उत्तरी पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर पूर्वी सीमा के साथ–साथ दक्षिण में सोरसन ब्रहमाणी माताजी के मंदिर तक।

दक्षिणी सीमाः– सोरसन ब्रहमाणी माताजी के मंदिर से दक्षिण सीमा के साथ–साथ पश्चिम में खरखडा ग्राम की सरहद तक।

पश्चिमी सीमाः– वनखण्ड सोरसन "डी" भाग 1 व 2 के दक्षिणी पश्चिम कोने से प्रारम्भ होकर खरखडा एवं मानपुरा ग्राम की सरहद के सहारे सहारे वनखण्ड सोरसन "डी" भाग 1 व 2 के उत्तर पश्चिमी कोने (मानपुरा तालाब) तक।
इसका कुल क्षेत्रफल 75.73 हैक्टेयर होगा।

इस प्रकार **सोरसन संरक्षण आरक्षिति (सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व) तृतीय** घोषित हो जाने के उपरान्त ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि **सोरसन संरक्षण आरक्षिति तृतीय** की सीमाओं के निकट निवास करता है, उसका यह दायित्व होगा कि,–

1. इस कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकेगा।
2. यदि उसकी जानकारी में ऐसी कोई बात आती है कि इस कन्जर्वेशन रिजर्व में वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति किसी प्रकार का अपराध घटित हो गया है तो वह अपराधियों को पहचानने एवं उन्हें गिरफ्तार कराने में स्थानीय वन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
3. किसी भी वन्यजीव की मृत्यु होने पर उसके शव की तब तक रक्षा करेगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत वनाधिकारी उसको अपने कब्जे में नहीं ले लेता है।
4. कन्जर्वेशन रिज़र्व क्षेत्र में न तो आग जलाएगा और न ही आग को जंगल में जलता हुआ छोडेगा। जंगल में आग लगाने अथवा आग लगने की जानकारी होने पर उसके शमन का पूर्ण प्रयत्न करेगा तथा उसको जंगल में फैलने से रोकेगा तथा वन अधिकारियों का सहयोग करेगा।
5. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा चिन्हों को न तो नुकसान पहुँचायेगा और न ही उन्हे परिवर्तित अथवा खण्डित करने का प्रयास करेगा।
6. कन्जर्वेशन रिजर्व की सीमा में स्वछंद विचरण करने वाले वन्यजीवों के साथ न तो छेड़खानी करेगा और न उन्हे सता कर परेशान करेगा।
7. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में गंदगी नही फैलाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.04.26 16:40:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 3724270

8. कन्जर्वेशन रिजर्व के क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए हानिकारक एवं घातक रसायन अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं करेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक /निजी सचिव/मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को Reams के माध्यम से गजट में प्रकाशित करावाने का श्रम करें
8. संभागीय आयुक्त,............................
9. मुख्य वन संरक्षक, ...
10. जिला कलक्टर, ...
11. उप वन संरक्षक, ...
12. प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुभाग–8
13. गार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी (वन)

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित हैं :—

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन्य जीव सुरक्षा विभाग, सी.जी.ओं. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़ी, नई दिल्ली।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

विशेषाधिकारी (वन)

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.04.26 16:40:40 IST
Reason: Approved